प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अभियुक्त को हुई 06 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक: 27.07.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 27.7.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 06 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रामपुर कलां से सम्बन्धित मु0अ0सं0 143/19 धारा 354/354ख भादवि व 9M/10 पाक्सो एक्ट बनाम इब्रान उर्फ इमरान पुत्र रज्जनबाज निवासी ग्राम भौरी थाना रामपुर कलां सीतापुर में रामपुर कलां पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 27.7.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-16 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा अभियुक्त इब्रान उर्फ इमरान पुत्र रज्जनबाज उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 354ख भादवि में 05 वर्ष कठोर कारावास व 7,000/-रुपये अर्थदंड तथा धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....